

बीरबल राम बनाम स्टेट
प्रकरण संख्या 271 / 2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख
हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल में
जारी हुये

16/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुई। वादी साक्ष्य करवाना नहीं चाहते। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम बिलाल खान पुत्र युसफ खान है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए चक 2 एसपीडी के खाता सं. 11/13 की 2.125 है. में से 1/5 हिस्सा में तथा चक 2 एसपीडी के खाता सं. 12/14 की 6.325 है. में से 1/5 हिस्सा कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम बिलाल खान पुत्र मोहम्मद युसूफ के स्थान पर बिलाल खान पुत्र युसफ खान दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16/10/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं
सुपरवण्ड अधिकारी
राजसंगर

